सं. 1340]

No. 1340]

HRC on USUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2007/कार्तिक 10 1929 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2007/KARTIKA 10, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2007

का.आ. 1860(अ).---केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नींचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यधावर्णित राजमार्ग की उक्त सरणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने यधा उल्लिखित तत्स्थानी सेक्शन के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है ।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सेक्शन	लंम्बाई किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
2	त्रिद्यमान की पूर्वी पहुंच और दूसरा विवेकानंद पुल	672.197 कि.मी. से 672.674 कि.मी.

[फा. सं. एनएच-14012/8/2002-पी एंड एम]

्रप्रभाकर, उप∼सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2007

S.O. 1860(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

4441 GJ/2007

TABLE				
National Highway Number	Section	Stretch in Kilometer		
(1)	(2)	(3)		
2	Eastern approach of existing and 2nd Vivekananda Bridge.	Km. 672.197 to Km. 672.674		

OVA ENT. TO

[F. No. NH-14012/8/2002-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2007

का.आ. 1861(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :---

अनुसूची				
(1)	(2)	(3)		
"25.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 [672.197 कि.मी. से 672.674 कि.मी. तक को छोड़कर (विद्यमानपूर्वी पहुंच और दूसरा विवेकानंद पुल)] सं. 6 [0.0 कि.मी.			

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

(2)

2

(1)

से 136.000 कि.मी. तक को छोडकर (कोलकाता से खडगपुर तक)], सं. 31 [447.000 कि.मी. से 470.000 कि.मी. तक और 476.150 कि.मी. से 634.150 कि.मी. तक को छोडकर (डालखोला से सिलीगडी होते हुए चाल्सा तक)], सं. 31ग [32.750 कि.मी. से 254.500 कि.मी. तक को छोडकर (बागडोगरा से पश्चिमी बंगाल/असम) सीमा]. सं 32 सं 60 [खड्गपुर से रानीगंज तक का भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर उसके जंक्शन से प्रारम्भ होने वाला रानीगंज के पास पांडावेसवारा-ड्बराजपुर-सियरी को जोडने वाला मोरेग्राम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर इसके जंक्शन समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 80 और सं 81 जो पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35, सं. 55, सं. 60क और 117 (21.80 किमी. से 137 कि.मी. जोका से बखाली तक) ।

[फा. सं. एनएच-14012/8/2002-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-संचिव

पाद टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1115(अ) तारीख 6 जुलाई, 2007 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2007

S.O. 1861(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :---

SCHEDULE

(1) 1	(2)	(3)
'25.	National Highways No. 2 [ex- cluding from Km. 672.197 to Km.	State Govt. of West Bengal'
	672.674 (eastern approach of	-
	Existing and 2nd Vivekanan'da	
	Bridge)], No. 6 [excluding from	×
	Km. 0.0 to Km. 136.000 (from	
	Kolkata to Kharagpur)], No. 31	
	[(excluding from Km. 447.000 to	
	Km. 470,000 and from Km.	
	476.150 to Km. 634.150 (Dalkhola	
	to Chalsa via Siliguri)], No. 31C	
	[(excluding from Km. 32.750 to Km.	
	254.500 (Bagdogra to West Bengal/	
	Assam) Border], No. 32, No. 60	
	(portion from Kharagpur to	
	Raniganj and the highway	
	starting from its junction with	
	NH-2 near Raniganj connecting	
	Pandaveswara-Dubrajpur-Siuri	
	and terminating at its junction	
	with NH 34 near Moregram)],	
	No. 80 and No. 81 as are situated	
	within the State of West Bengal	
	and National Highways No. 35,	
	No. 55, No. 60A and No. 117 (Km.	
	21.80 to Km. 137 from Joka to Bakkhali).	

[F. No. NH-14012/8/2002-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1115(E), dated the 6th July, 2007.